



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

02 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-27.07.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में थाना तंबौर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्मा/विक्रय/परिवहन जैसे अपराध में लिप्त 02 अभियुक्तों 1.मोबिन उर्फ छोटा मुन्ना पुत्र अब्दुल हसन 2.नसीर पुत्र मो. हुसैन नि0गण ड्योढ़ीडीह थाना तंबौर जनपद सीतापुर के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरूद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना तंबौर पर मु0अ0सं0 259/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 259/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. मोबिन उर्फ छोटा मुन्ना पुत्र अब्दुल हसन नि0 ड्योढ़ीडीह थाना तंबौर जनपद सीतापुर
2. नसीर पुत्र मो. हुसैन नि0 ड्योढ़ीडीह थाना तंबौर जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

- मु0अ0सं0 20/22 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना तंबौर सीतापुर।